19/4/17

साहब दौरे / अवकाश पर हैं।
पेशी इल्तवा की जाकर पत्रावली
तारीख 16/5/17 को पेश हो।

16/5/17 पत्रावली पेश हुई। वादी पक्ष की ओर से मिस्टर राजेन्द्र लोढ़ा अधिवक्ता व आवेदक श्री रामेश्वर रेटी उपस्थित। बहस पेश हो।

14/6/17 पत्रावली आज राजेन्द्र लोढ़ा अधिवक्ता व आवेदक श्री रामेश्वर रेटी की ओर से पेश हुई। वादी अधिवक्ता प्रतिवादी के 8 लघु सिंचाई बांध के विभाजन प्रस्ताव के संबंध में जवाब पेश किया। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के संबंध में जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि बादगढ़ भूमि के खसरा का विभाजन पड़ोसी गांवों के द्वारा अधिनियम 2004 में की चुकी है। सीमांकित वर्तमान में विभाजन भूमि उपलब्ध है। अतः अधिनियम विभाजन प्रस्ताव के सीमांकित प्रभावित हिस्से बिजवाना आगे अग्रिम नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लघु सिंचाई बांध जाप प्रस्तुत जवाब का अध्ययन किया गया। जवाब के साथ पेश नं. 108 मौजा आंतेड़ी का अध्ययन करने पर पाया गया कि बादगढ़ भूमि पूर्व में अतिक्रमित है। बांध के समय आपसी सहमति के बंटवारा के अनुसार सिंचाई एवं स्थिति में बादगढ़ भूमि के खसरा के विभाजन के संबंध में न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का अवरोध किया जाना न्यायोचित नहीं है। वादी ने बादगढ़ भूमि के विभाजन के संबंध में तथा छुपाई है। वादी का वाद स्वच्छ हाथों से पेश नहीं किया है। सिंचाई वाद वादी खारिज किया जाता है। पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 20/6/2016 व अपील निर्णय का निरस्त किया जाता है। मिसल पेश हो। नाखते कर दी।

(राजेन्द्र कुमार डांगी)
RDS